

मांग पत्र दिनांक 03.05.2014 व 03.09.2014 अनुसार श्रमिकगण Manoj Kumar Singh and Sidh  
Sahu ने बनाम M/s Modelama Export, Plot No. 201, Udyog Vihar, Phase- 1,  
Gurgaon पर दिया की असफलता रिपोर्ट।

#### श्रमिकों का कथन:-

श्रमिकों के मांग पत्र अनुसार वे क्रमशः दिनांक 01.04.2013 व 19.06.2013 को संस्था में बतौर  
Helper & Checker के पद पर भर्ती हुए थे। श्रमिकों का कार्य सन्तोषजनक था। प्रबंधकों ने श्रमिकों को  
दिनांक 01.05.2014 व 14.06.2014 को बिना नोटिस पे व छटनी मुआवजा दिये गलत व गैर कानूनी ढंग से  
नौकरी से निकाल दिया। प्रबंधकों ने श्रमिकों की सेवाएं समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947  
की धारा 25 एफ की परिपालना नहीं की। श्रमिकों की मांग है कि उन्हें पिछले वेतन सहित सेवाएं लगातार  
दानते हुए नौकरी पर बहाल किया जाए।

#### प्रबंधक प्रतिनिधि का कथन:-

प्रबंधकों ने अपनी लिखित टिपणी में बताया कि उन्होंने श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला  
है, श्रमिकगण स्वयं बिना पूर्व सूचना के दिनांक 01.04.2014 व 09.06.2014 से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे  
हैं। प्रबंधकों द्वारा दी गई लिखित टिपणी संलग्न है। प्रबंधकों ने मांग पत्र गलत व झुठा बताते हुए रद्द  
करने की मांग की है।



सहायक श्रम आयुक्ता  
सर्कल 1, गुडगांव।

ATTESTED

EXAMINER

18/12/14

मांग पत्र दिनांक 03.05.2014 व 03.09.2014 अनुसार श्रमिकगण Manoj Kumar Singh and Sidh Sarani Sahu ने बनाम M/s Modelama Export, Plot No. 201, Udyog Vihar, Phase- I, Gurgaon पर दिया की असफलता रिपोर्ट।

### गोपनीय रिपोर्ट

श्रमिकों के मांग पत्र अनुसार वे क्रमशः दिनांक 01.04.2013 व 19.06.2013 को संस्था में बतौर Helper & Checker के पद पर भर्ती हुए थे। श्रमिकों का कार्य सन्तोषजनक था। प्रबन्धकों ने श्रमिकों को दिनांक 01.05.2014 व 14.06.2014 को बिना नोटिस पे व छटनी मुआवजा दिये गलत व गैर कानूनी ढंग से नौकरी से निकाल दिया। प्रबन्धकों ने श्रमिकों की सेवाएं समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 25 एफ की परिपालना नहीं की। श्रमिकों की मांग है कि उन्हें पिछले वेतन सहित सेवाएं लगातार मानते हुए नौकरी पर बहाल किया जाए।

प्रबन्धकों ने अपनी लिखित टिपणी में बताया कि उन्होंने श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला है। श्रमिकगण स्वयं बिना पूर्व सूचना के दिनांक 01.04.2014 व 09.06.2014 से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे हैं। प्रबन्धकों द्वारा दी गई लिखित टिपणी संलग्न है। प्रबन्धकों ने मांग पत्र गलत व झुठा बताते हुए रद्द करने की मांग की है।

मांग पत्र कार्यालय में प्राप्त होने उपरांत दोनों पक्षों की समाधान बैठक बुलाई गई। मांग पत्र समझौते हेतु कई तिथियां लगाई गईं। दोनों पक्षों की वार्तालाप सुनने उपरान्त प्रतीत होता है कि प्रबन्धकों ने श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला। अतः प्रबन्धकों का कथन सत्य मानते हुए मांग पत्र रद्द करने की सिफारिश की जाती है।

सहायक श्रम आयुक्त  
सर्कल- 1, गुडगांव।



ATTESTED


EXAMINER

18/3/14

### ओबजेक्टिव रिव्यू

1. कारखाने/संस्थान का नाम व पता :- श्री. राजेश कुमार शर्मा
2. कारखाने/संस्था में श्रमिकों की संस्था :- श्री. राजेश कुमार शर्मा, 4-6-14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
3. सगाधान बैठकों के लिए निश्चित की गई तिथि :- 11-11-14, 12-11-14
4. कारखाने/संस्था का कार्य :- गैर-मशीनरी
5. कारखाने/संस्था की आर्थिक स्थिति :- अच्छा
6. श्रमिक द्वारा दिए गए मांग पत्र की तिथि ..... व कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि ..... :- 31-10-14 के उपरान्त  
" " " " " "
7. मांग पत्र श्रमिक/यूनियन द्वारा दिया गया:- 11-11-14
8. यूनियन का नाम व पता :- —
9. यूनियन का एफिलियेशन :- —
10. सगाधान बैठकों में प्रबन्धकों की ओर से किसने भाग लिया :- श्री. राजेश कुमार शर्मा
11. श्रम न्यायालय का कार्यक्षेत्र :- जयपुर न्यायालय, 22-5-14

भवदीय

  
सहायक श्रम आयुक्त,  
सर्कल 1, गुडगांव



ATTESTED

EXAMINER

श्री. राजेश कुमार शर्मा